

कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल।

पत्रांक:-बे0शि0/मान्यता/

18276-82

/2020-21 दिनांक: 25-3-2021

प्रबन्धक

सैंट मैरीज स्कूल, आलम सराय, मण्डी रोड, सम्भल

विकास खण्ड पर्वोसा, जनपद सम्भल।


विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 29-09-2020 तथा इस सम्बन्ध में संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या दिनांक 28-01-2021 एवं विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्वी पत्राचार/ निरीक्षण/ जांच उपरान्त शासनादेश संख्या-89/ अरसठ -3- 2018 -2041 / 2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ 11 जनवरी, 2019 एवं शासनादेश संख्या-196/ अडसठ-3- 2020 -2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ 29 जून, 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता समिति (उच्च प्राथमिक स्तर) की बैठक दिनांक 22-03-2021 में लिये गये निर्णयानुसार सैंट मैरीज स्कूल, आलम सराय, मण्डी रोड, सम्भल, विकास खण्ड पर्वोसा जनपद सम्भल को कक्षा-06 से 08 तक की अंग्रेजी माध्यम से अस्थायी औपबन्धिक मान्यता नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत प्रथमतः एक वर्ष की अवधि (01-04-2021 से 31-03-2022 तक) के लिये इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो एक वर्ष के पश्चात् मान्यता से सम्बन्धित नियमों / शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के प्राविधानों के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात् विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में नियम / शर्त निम्नवत् हैं-

- 1-मान्यता के लिये स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा-8 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
- 2- विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के उपबन्धों का पालन किया जायेगा।
- 3- विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत व नवीनीकृत हो।
- 4- विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या एसोसिएशन को लाभ पहुँचाने के लिये संचालित नहीं किया जायेगा।
- 5-मान्यता प्राप्त विद्यालय में उसके सुचारु रूप से संचालन के लिये उस विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।
- 6-सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।
- 7-विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा।
- 8-भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिये प्राविधानित नीतियां तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 9- विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक कलाओं के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।
- 10-विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यावसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिये दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।
- 11- विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह (Logo) एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।


PRINCIPAL



MANAGER

ST. MARY'S SECONDARY SCHOOL
DISTT. SAMBHAL - 244302



- 12-विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।
- 13- बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय /राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनार्ये निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 14-विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम -2009 की धारा -12(1)(सी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिये जाने का शपथ पत्र दिया जायेगा।
- 15-शिक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रजी भाषा होगी तथा अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ायी जायेगी।
- 16- विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 17-विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होना चाहिये तथा महायोजना/सेक्टर प्लान में भू उपयोग विद्यालय के नाम अंकित हो। विद्यालय का मानचित्र संगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य है।
- 18-दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। विद्यालय भवन की मजबूती, सुरक्षा एवं रख-रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध तंत्र का होगा।
- 19-विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।
- 20-उच्च प्राथमिक के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फिट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिये। विद्यालय में कक्षावार उतने ही छात्र-छात्राओं का प्रवेश दिया जाये, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था हो। प्रत्येक कक्षा कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिये।
- 21- उच्च प्राथमिक स्तर की 03 कक्षाएँ, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग-अलग कक्ष, छात्र/छात्राओं तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं के पृथक-पृथक मूत्रालय, शौचालय एवं हाथ साफ करने की समुचित व्यवस्था तथा पीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।
- 22-खेलकूद के लिये विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के समीप पर्याप्त कीड़ा स्थल उपलब्ध होना चाहिये, जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छात्रायें कर सकते हों।
- 23-विद्यालय में छात्रोपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिये। उक्त के अतिरिक्त खेलकूद का सामान, मानचित्र, विभिन्न शैक्षिक चार्ट, सामान्य ज्ञान शिक्षाप्रद पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाओं आदि का होना आवश्यक है। दृश्य एवं श्रव्य उपकरण आदि की व्यवस्था विद्यालय अपने आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत कर सकते हैं।
- 24- उच्च प्राथमिक स्तर हेतु रू० 25000-00(पच्चीस हजार रूपये) सुरक्षित कोष हेतु जमा रहेंगे तथा अधोहस्ताक्षरी के पदनाम बन्धक रहेंगे।
- 25-मान्यता के पश्चात् विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम -2009 के अनुसार न्यूनतम स्टाफ उपलब्ध होना चाहिये।
- 26- मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों का वेतन भुगतान प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने निजी स्रोत से किया जायेगा।
- 27- प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा(अध्यापक) सेवा नियमावली-1981(अद्यतन संशोधित) में निहित है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल(जू0हा0स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली-1978(यथासंशोधित) के अनुसार होगी।
- 28-मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
- 29- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।
- 30-विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम -2009 की धारा-19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।
- 31- विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।
- 32-प्राथमिक (प्राइमरी)/ उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले समस्त अशासकीय विद्यालय स्ववित्त पोषित होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा अनुदान स्वीकृति हेतु उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।







MANAGER
ST. MARY'S SECONDARY SCHOOL
DISTT. SAMBHAL - 244302

